कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

द्वितीय तल, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना–800015

दूरभाष :– 0612–2215895, वेबसाइट– krishi.bih.nic.in ई–मेल– diragri-bih@nic.in, diragri.bih@gmail.com

संचिका/पत्र संख्या–2(गो०)सी०–2–29/2017– कृ0, पटना, दिनाक .....

आदेश

जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक 3236 दिनांक 06.02.2017 के द्वारा श्री राजेश कुमार शर्मा, तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी, नवीनगर, औरंगाबाद सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया। तदनुसार कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 822 दिनांक 25.07.2017 के द्वारा अभियोजन स्वीकृति दी गई एवं ज्ञापांक 823 दिनांक 25.07.2017 द्वारा निलंबित करते हुए निदेशालय स्तर से प्रपत्र 'क' गठित किया गया।

उक्त प्रपत्र 'क' में आरोप प्रतिवेदित किया गया है कि– खरीफ विपणन मौसम 2014–15 अन्तर्गत धान क्रय केन्द्र नवीनगर पर कुल 130853.08 क्विंटल धान किसान एवं पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा क्रय किया गया है, जिसके विरूद्ध मिलरों द्वारा जमा अग्रिम सी0एम0आर0 के समतुल्य कार्यालय से विभिन्न मिल के नाम से कुल 130853.08 क्विंटल धान का भण्डार निर्गमादेश के विरूद्ध शतप्रतिशत धान अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा दिनांक 07.12.2015 को अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा 1641.79 क्विंटल धान कुल क्रय के विरूद्ध अवशेष दर्शाया गया है, जिसका भौतिक सत्यापन दिनांक 23.12.2015 को किया गया। भौतिक रूप से गोदाम में धान की मात्रा शून्य है।

क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से भी यह स्पष्ट होता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा, तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी, नवीनगर, औरंगाबाद सम्प्रति निलंबित के द्वारा भण्डार निर्गमादेश संख्या 2670734 जो कुल 1641 क्विंटल का निर्गत है के विरूद्ध धान उपलब्ध नहीं कराया गया।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्य– श्री राजेश कुमार शर्मा, निलंबित प्रखंड कृषि पदाधिकारी, नवीनगर ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि खरीफ विपणन वर्ष 2014–15 अन्तर्गत धान कय केन्द्र, नवीनगर में अवशेष दर्शाये गये धान 1641.79 क्वींटल के गोदाम में नहीं रहने के लिए वे अकेले दोषी नहीं है। जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक 875 दिनांक 25.11.2014 के कंडिका 13 के अनुसार कय किये गये धान की मात्रा में कमी होने पर क्रय केन्द्र प्रभारी के साथ कार्यपालक सहायक समान रूप से जिम्मेवार माने जायेंगे। उनका कहना है कि धान कय केन्द्र प्रभारी के साथ कार्यपालक सहायक समान रूप से जिम्मेवार माने जायेंगे उनका कहना है कि धान कय केन्द्र,

नवीनगर के कार्यपालक सहायक श्री विशाल कुमार सिन्हा के बराबर के दोषी है। गोदाम का ताला चाभी कार्यपालक सहायक के पास रहती थी एवं गोदाम में वजन करनेवाले छोटे उपकरण के कारण श्री सिन्हा के द्वारा वजन भी बाहर ही करवाया जाता था। अधिप्राप्ति के समय वाहन के एकाध बोरे का वजन करवा कर अंदाज के आधार पर खरीदगी सह भुगतान भाउचर पर वजन जोड़ कर अंकित कर दिया जाता था।

धान अधिप्राप्ति के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक 197 दिनांक 20.02.2015 के द्वारा दिनांक 26.02.2015 से 27.02.15 तक श्री शर्मा के प्रतिनियुक्ति कृषि यांत्रिकरण मेला में की गयी थी, जिसमें उन्होंने विभागीय कार्य का निष्पादन किया।

जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्ता, औरंगाबाद के पत्रांक 681 दिनांक 21.03.2015 के द्वारा श्री शर्मा की चैती छठ के अवसर पर देव मेला में दिनांक 23.03.2015 से 26. 03.2015 तक देव प्रखंड ओ0पी0 सह नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्ति की गयी थी। जिला दण्डाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक 738 दिनांक 25.05.2015 के द्वारा 27.03.2015 से 29. 03.2015 तक रामनवमी के अवसर पर विधि व्यवस्था कार्य में टण्डवा थाना में प्रतिनियुक्त की गयी थी।

जिला दण्डाधिकारी, औरंगाबाद के पत्राक 1779 दिनांक 13.07.2015 के द्वारा 18. 07.2015 से 20.07.2015 तक ईद उल फित्र के अवसर पर विधि व्यवस्था कार्य में टण्डवा थाना में प्रतिनियुक्ति की गयी थी। श्री शर्मा की प्रतिनियुक्ति के समय कय केन्द्र पूर्णतः कार्यपालक सहायक के जिम्मे में रहा है। स्पष्ट है कि एकही समय में एक व्यक्ति दो जगह पर कार्य नहीं कर सकता है।

श्री शर्मा ने अपने कथन के जॉच हेतु कार्यपालक सहायक श्री विशाल कुमार सिन्हा को बुलाने का अनुरोध किया। उक्त के आलोक में कार्यालय पत्रांक 310 दिनांक 18.04.18 के द्वारा श्री सिन्हा को सुनवाई में उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखते हुए पत्र लिखा गया था। परन्तु श्री सिन्हा स्वयं सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने कार्यालय पत्रांक 310 दिनांक 18.04.2018 के आलोक में अपने पिता के माध्यम से लिखित उतर कार्यालय में भेजा जिसमें उन्होंने स्वयं को दोषी मानने से इंकार करते हुए कहा कि उनका काम सिर्फ डाटा इन्ट्री का था।

पुनः श्री शर्मा के अनुरोध पर श्री सिन्हा को सुनवाई में स्वयं उपस्थित होने हेतु कार्यालय पत्रांक 397 दिनांक 11.05.2018 एवं 458 दिनांक 31.05.2018 (कार्यालय पत्रांक 458 दिनांक 31.05.2018 बिना प्राप्त किये वापस लौटा दिया गया।) श्री सिन्हा को

सुनवाई में उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखने हेतु पत्र लिखा गया था, परन्तु श्री सिन्हा स्वयं सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए।

जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक 875 दिनांक 25.11.14 के कंडिका–17 के अनुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा धान अधिप्राप्ति का सत्यापन किया जाना था। उक्त के आलोक में कार्यालय पत्रांक 112 दिनांक 06.02.2018 एवं 292 दिनांक 22. 03.2018 प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवीनगर से धान कय केन्द्र नवीनगर के सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।

श्री शर्मा के अनुरोध पर जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद से जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक 875 दिनांक 25.11.2014 का अनुपालन नहीं करते हुए सिर्फ श्री शर्मा से रूपये 28,73,725/– (अठाईस लाख तिहत्तर हजार सात सौ पच्चीस) की वसूली के लिए नोटिस निर्गत किये जाने के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 114 दिनांक 06.02.2018 एवं पत्रांक 230 दिनांक 22.03.2018 द्वारा मंतव्य की मांगी की गयी जो अप्राप्त है। श्री शर्मा द्वारा 06.06.2018 को समर्पित जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद के पत्रांक 1299 दिनांक 20.06.2015 द्वारा धान अधिप्राप्ति क्रय केन्द्र में प्रतिनियुक्त कार्यपालक सहायकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए उन्हें अभिलेखों का प्रभार जिला लेखा शाखा में सुपूर्त करने का आदेश दिया गया है। इससे प्रतीत होता है कि अभिलेखों के प्रभार में कार्यपालक सहायक ही रहते थे। साथ ही दिनांक 20.03.15 को निर्गत कय सह भुगतान अभिश्रव पर भी कार्यपालक सहायक श्री विशाल कुमार सिन्हा द्वरा ही हस्ताक्षर है। केन्द्र प्रभारी (श्री राजेश कुमार शर्मा) का नहीं। जिला प्रबंधक रा0खा0नि0, औरंगाबाद के पत्रांक 2609 दिनांक 29.12.2015 द्वारा थानाध्यक्ष, नवीनगर, औरंगाबाद के क्रय केन्द्र प्रभारी श्री राजेश कुमार शर्मा एवं कार्यपालक सहायक श्री विशाल कुमार सिन्हा के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। इस स्थिति में कार्यपालक सहायक द्वारा गड़बड़ी किये जाने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में भंडार निर्गमादेश के विरूद्ध धान की आपूर्ति नहीं किये जाने के लिए जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक 875 दिनांक 25.11.14 के आलोक में कार्यपालक सहायक श्री विशाल कुमार सिन्हा एवं श्री शर्मा समान रूप से दोषी प्रतीत होते है। अतः दोनों कर्मियों से बराबर भाग में राशि की वसूली किया जाना उचित प्रतीत होता है। श्री शर्मा के उपर लगाया गया आरोप अंशतः प्रमाणित होता है। उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं

अपील) नियमावली 2005 के नियम–18 के तहत लिखित अभिकथन की माँग पत्रांक 790 दिनांक 30.11.2018 द्वारा श्री शर्मा से की गई।

श्री राजेश कुमार शर्मा, तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी, नवीनगर सम्प्रति निलंबित के द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन में उल्लेखित किया गया कि–

1. बिहार स्टेट फुड जिला प्रबंधक राष्ट्रीय फुड खाद्य निगम के अनुसार एवं जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के ज्ञापांक 875 दिनांक 25.11.2014 प्राप्त है।

2. इस आदेश में अधोहस्ताक्षरी के साथ श्री विशाल कुमार सिन्हा, कार्यपालक सहायक को संयुक्त रूप से क्रय केन्द्र पर प्रभारी बनाया गया है। जिसमें यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि कार्यपालक सहायक का यह दायित्व होगा कि क्रय किये गये धान के पंजीयों एवं लेखा का संधारण सही तरीके से करते हुए प्रतिदिन ई–मेल के माध्यम से जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम एवं जिला आपूर्ति प्रशाखा, औरंगाबाद को भेजना सुनिश्चित करेंगे। क्रय किये गये धान की मात्रा में कमी होने पर क्रय केन्द्र प्रभारी के साथ समान रूप से जिम्मेवार माना जायेगा।

3. इस प्रकार जिला पदाधिकारी के आदेश के बावजूद जो धान में कमी पायी गयी है उसमें सिर्फ मुझे जिम्मेवार ठहराया गया है जबकि हुई कमी को जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार दोनों व्यक्ति समान रूप से होंगे।

4. कुल धान की क्रय की मात्रा 130853.08 क्विंटल की गई तथा उठाव S.I.O के विरूद्ध 12911.09 हुआ। जिसमें 1641.79 क्विंटल क्रय हुआ। जो गोदाम में था।

5. जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार क्रय केन्द्र पर क्रय किये गये धान की मात्रा में कमी होने पर क्रय केन्द्र प्रभारी के साथ–साथ कार्यपालक सहायक भी समान रूप से जिम्मेवार माने जायेंगे।

6. जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के आदेश संख्या 875 दिनांक 25.11.2014 को अनदेखा करते हुए जिला निलाम पत्र पदाधिकारी, औरंगाबाद ने अपने पत्रांक 104 दिनांक 24.01.2014 में मुझे पर कुल कमी धान 1641.79 क्विंटल का कुल कीमत रूपये 29,23,725/– का नोटिस प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से मुझे उपलब्ध कराया गया।

7. पुनः इस संबंध में मुझे कहना है कि जो कीमत जिला निलाम पत्र पदाधिकारी के द्वारा दर्ज की गई, जिससे जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक राज्य खाद्य निगम के अनुसार मुझ पर रूपये 14,61,862.05/– लाख ही बनता है तथा शेष रूपये 14,61,862.05/– की राशि कार्यपालक सहायक को बनता है। जबकि कुल राशि मेरे ही नाम पर दर्ज कर दिया गया है, जो बिलकूल ही न्यायोचित नहीं है।

8. (i) श्रीमान् को यह बताना उचित प्रतीत होता है कि क्रय केन्द्र पर मेरे साथ ही श्री विशाल कुमार सिन्हा का प्रतिनियुक्त जिला पदाधिकारी के ज्ञापांक 875 दिनांक 25.11.2014 को हुई।

(ii) तत्पश्चात इस क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक 197 दिनांक 20.02.2015 के अनुसार मुझे दो दिनों तक औरंगाबाद मे रहकर कृषि यांत्रिकरण मेला में भाग लेना था। चुँकि जिला कृषि पदाधिकारी जिले के कृषि विभाग एवं मेरे पैतृक विभाग के जिला स्तरीय सबसे बड़े पदाधिकारी है उनका आदेश का पालन करते हुए मुझे क्रय केन्द्र दो दिनों तक कार्यपालक सहायक को सौंप कर मै कृषि यांत्रिकरण मेला में सम्मिलित हुआ। स्वभाविक है एक व्यक्ति एक समय में दो जगह कार्य नहीं कर सकता है। इस प्रकार कार्यपालक सहायक के उपर केन्द्र को सौंप कर मै मेला में भाग लिया।

(iii) पुनः जिला दण्डाधिकारी के पत्रांक 681 दिनांक 21.03.2015 के अनुसार मेरी प्रतिनियुक्ति चैती छठ देव मेला 2015 पर तीन दिन के लिए वरीय प्रभारी दण्डाधिकारी श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय, वरीय उपसमाहर्त्ता, औरंगाबाद के साथ प्रतियुक्त कर दिया गया।

इस प्रकार एक व्यक्ति एकही जगह पर काम कर सकता है। इस प्रकार जिला पदाधिकारी का उपरोक्त पत्रांक 681 दिनांक 21.03.2015 का आदेश का पालन करते हुए क्रय केन्द्र लगातार तीन दिनों तक श्री विशाल कुमार सिन्हा, कार्यपालक सहायक को सौप कर तीन दिनों तक जिला पदाधिकारी के आदेश का पालन किया। इस प्रकार मेरे द्वारा कहीं से भी किसी प्रकार दोष क्रय केन्द्र पर कमी का नहीं लगाया जा सकता है।

(iv) पुनः जिला दण्डाधिकारी, औरंगाबाद के आदेश संख्या 738 दिनांक 25.03. 2015 के तहत रामनवमी 2015 में मेरी दण्डाधिकारी के रूप में दण्डवा थाना पर प्रतिनियुक्त कर दिया गया। स्पष्ट है कि एक व्यक्ति एकही जगह पर काम कर पायेगा जिसके तहत कय केन्द्र का पूर्ण जिम्मेवारी श्री विशाल कुमार सिन्हा, कार्यपालक सहायक के ही उपर था।

(v) पुनः जिला दंडाधिकारी, औरंगाबाद के आदेश संख्या 1779 दिनांक 13.07. 2015 के आदेश के तहत ईद उल फित्र 2015 के अवसर पर मुझे दण्डवा थाना पर प्रतिनियुक्त कर दिया गया। इस प्रकार स्वाभाविक है कि क्रय केन्द्र पर श्री विशाल कुमार सिन्हा मौजूद रहे। इस प्रकार एक व्यक्ति एक ही जगह पर कार्य कर सकता

है। इस प्रकार क्रय केन्द्र का पूर्ण जिम्मेवारी एक ही व्यक्ति पर इंगित कर देना न्यायोचित नहीं है, तथा जिला निलाम पत्र पदाधिकारी के द्वारा जिला पदाधिकारी के उपरोक्त पत्रों का अनदेखी कर सिर्फ एक ही व्यक्ति पर यह राशि दर्ज कर दी गई है, जो नियमानुकूल नहीं है। इस संबंध में अपना एक स्पष्टीकरण जिला कृषि पदाधिकारी –सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, औरंगाबाद को दिनांक 19.12.2017 को समर्पित कर चुका हूँ।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए सहानुभूति पूर्वक विचार करने की कृपा की जाय। साथ ही इस आरोप से मुझे मुक्त करने की कृपा की जाए।

श्री राजेश कुमार शर्मा, तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी, नवीनगर, औरंगाबाद सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क'/संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री शर्मा से प्राप्त लिखित अभिकथन के समीक्षोपरांत पाया गया कि इनके विरूद्ध वित्तीय अनियमितता तथा गबन का प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित होते है। साथ ही श्री शर्मा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में दिये गये तथ्यों में कोई ऐसा तथ्य नहीं है, जिससे गबन के आरोप को अप्रमाणित माना जा सके।

उक्त के समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री राजेश कुमार शर्मा, तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी, नवीनगर, औरंगाबाद सम्प्रति निलंबित मुख्यालय संयुक्त निदेशक (शष्य), मगध प्रमंडल, गया का उपर्युक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक अचार नियमावली –1976 के (3) जिसमें हरेक सरकारी सेवक को (i) पूरी शीलनिष्ठा रखना। (ii) कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा रखना। (iii) ऐसा कोई काम न करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो से संबंधित प्रावधानों के प्रतिकूल है, इस आधार पर इन्हें सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया जाता है।

अतः उक्त निर्णय के आलोक में श्री राजेश कुमार शर्मा, तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी, नवीनगर, औरंगाबाद सम्प्रति निलंबित मुख्यालय संयुक्त निदेशक (शष्य), मगध प्रमंडल, गया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 के तहत सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

ह०/–

कृषि निदेशक,बिहार,पटना

ज्ञापांकः– /कृ0,पटना,दिनांकः– 2019

निबंधित

प्रतिलिपिः– जिला कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

कृषि निदेशक,बिहार,पटना

निबंधित

ज्ञापांकः–   /कृ0,पटना,दिनांकः–   2019

प्रतिलिपिः– श्री राजेश कुमार शर्मा, तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी, नवीनगर, औरंगाबाद सम्प्रति निलंबित मुख्यालय संयुक्त निदेशक (शष्य), मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

ह०/–

कृषि निदेशक,बिहार,पटना

ज्ञापांकः–   /कृ0,पटना,दिनांकः–   2019

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/सभी संयुक्त निदेशक (शष्य), बिहार/सभी जिला कृषि पदाधिकारी, बिहार/प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवीनगर, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

कृषि निदेशक,बिहार,पटना

ज्ञापांकः–   /कृ0,पटना,दिनांकः–   2019

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री कृषि के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/कृषि निदेशक के आप्त सचिव/उप निदेशक (प्र०)–सह–अपर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

कृषि निदेशक,बिहार,पटना

ज्ञापांक 760   /कृ0, पटना, दिनांकः– 20/11/   2019

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर कृषि विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि सभी संबंधित को ई0 मेल0 करने के साथ–साथ बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19.11.19

19.11.19

कृषि निदेशक,बिहार,पटना

प्रभारी पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं दूरभाष– श्रीमती निवेदिता राय, उप निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव 9431818815